न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर – /2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. प्यारेलाल पुत्र बदरी जाति मीना निवासी राधेकी तहसील बामनवास

–प्रार्थी

बनाम

2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

–अप्रार्थी

वकील प्रार्थी – श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 20-6-25

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 822/289 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम राधेकी तहसील बामनवास है, जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तगार है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का उपरोक्त भूमि से कोई संबंध या वास्ता नहीं है। उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रृक भूमि है जिसे प्रार्थी पूर्वजों के समय से वहैसियत खातेदार काबिज रहकर उपयोग उपयोग में लेता चला आ रहा है। तथा लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। अन्य किसी दीगर व्यक्ति का इस भूमि से कोई संबंध, ताल्लुक, वास्ता नहीं है। पड़ौसी खातेदार आये दिन प्रार्थी की उक्त आराजी की डोल मेड़ को ध्वस्तकर प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि में दवाने की नीयत रखते है जिसके चलते प्रार्थी को अपनी भूमि की डोल मेड़ के संबंध में पड़ौसी खातेदारान से आये दिन विवाद का समाना करना पड़ता है। प्रार्थी अपनी भूमि का सीमाज्ञान भी करा चुका है फिर भी पड़ौसी खातेदारान आये दिन विवाद करते रहते है। जिससे प्रार्थी को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है जिससे आये दिन पड़ौसीयों से झगड़े की संभावना वनी रहती है। आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्ट्रिगत रखते हुये प्रार्थी प्रार्थना पत्र के मद संख्या–1 में वर्णित अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है जिससे कि प्रार्थी को अपनी भूमि के संबंध में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना कानूनन व न्यायहित में आवश्यक है। इस संबंध में प्रार्थी ने तहसीलदार बामनवास से पत्थरगढ़ी करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन उन्होंने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी लेण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास को आदेश दिया जावे किवह टीम गठित कर आराजी खसरा नम्बर 822/289 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम राधेकी तहसील बामनवास की पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ते के करावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बामनवास की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 स्थित ग्राम राधेकी

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with CamScanner

पटवार मण्डल शफीपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शफीपुरा तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 822/289 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम राधेकी तहसील बामनवास स्थित भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर स्थित ग्राम राधेकी पटवार मण्डल शफीपुरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र शफीपुरा तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 822/289 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम राधेकी तहसील बामनवास में स्थित आराजी हाल खसरा नंबर 822/289 रकबा 0.02 है0 स्थित ग्राम राधेकी तहसील बामनवास भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0 अ0 निरीक्षक शफीपुरा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक शफीपुरा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बामनवास को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20-6-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(सुनील कुमार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

बामनवास (सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner